Kanakamedala Ravindra Kumar (Andhra Pradesh) and Dr. Radha Mohan Das Agrawal (Uttar Pradesh).

Shri Sujeet Kumar - 'Demand for exempting GST for Handloom Sector'.

Demand for exempting GST for Handloom Sector

श्री सुजीत कुमार (ओडिशा): उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हैंडलूम उत्पाद पर जीएसटी हटाने के विषय पर आकर्षित करना चाहता हूं। यह बहुत खुशी की बात है कि खादी या खादी के उत्पाद, चरखा या जो हैंडलूम वीविंग मशीनरी है, उन पर कोई जीएसटी नहीं है, लेकिन जो धागा, कॉटन फाइबर, यार्न है, उनमें 5 प्रतिशत जीएसटी है। इनमें पहले जीएसटी लागू नहीं था। सर, जो हैंडलूम का फिनिश्ड प्रोडक्ट है, इस पर 5 प्रतिशत जीएसटी है। इसके अलावा जो हैंडलूम गारमेंट्स हैं, उन पर 12 प्रतिशत जीएसटी है। हमारे जो बुणाकार भाई हैं, जो यह काम करते हैं, उनको हैंडलूम उत्पाद के मूल्य को बढ़ाना पड़ता है। इससे कन्ज़्यूमर्स उस उत्पाद को नहीं खरीदते हैं, जिससे उनकी आजीविका पर फर्क आता है। इससे हमारे देश में हैंडलूम की जो बहुत बड़ी परंपरा है, उस पर प्रभाव पड़ता है।

महोदय, हमारे देश में करीबन 44 लाख वर्कर्स हैंडलूम सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का 14 प्रतिशत है। सिर्फ ओडिशा में ही करीबन साढ़े तीन लाख हैंडलूम बुणाकार हैं। झारसुगुड़ा, सम्बलपुर, बरगढ़, सोनपुर और बलांगीर ऐसे जिले हैं, जहां पर मैक्सिमम इकोनॉमी हैंडलूम सेक्टर्स से चलती है। इसके चलते इसमें एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जीएसटी का जो फॉर्म फिल-अप, उसका जो प्रोसीज़र है, यह बहुत कम्बरसम है। हम एक बुणाकार से यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वह खुद जाकर जीएसटी का फॉर्म भरे और जीएसटी की फाइलिंग करे। इसके लिए उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर्स आदि के पास जाना पड़ता है और उससे उसका खर्चा बढ़ता है।

महोदय, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ओडिशा सरकार हमारे बुणाकार भाइयों को मदद करने के लिए काफी स्कीम्स लाई है। उनमें से एक बहुत अच्छी स्कीम है, जिसके तहत उनको एक लाख रुपये तक इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है, उसको 'बलिया' (BALIA) स्कीम कहते हैं - Bunakar Assistance for Livelihood and Income Augmentation, इस विषय पर कई बार ओडिशा सरकार भारत सरकार को चिट्ठी लिख चुकी है। प्रशांत नन्दा जी ने यह विषय 19 दिसम्बर, 2018 में अनस्टार्ड क्वेश्चन के तहत संसद में उठाया था और 11 जुलाई, 2019 को भी यह विषय एक अनस्टार्ड क्वेश्चन के तहत एक अन्य माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया था।

महोदय, मैं मानता हूं कि जीएसटी तभी भरना पड़ता है, जब आपका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा हो और यह भी सही है कि बहुत सारे बुणाकार हैं, जिनका टर्नओवर 20 लाख से कम होता है। फिर भी अगर हम लोग उनकी लाइवलिहुड को बढ़ाना चाहते हैं, वर्ल्ड मार्किट में उनके प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इससे उनका टर्नओवर जरूर बढ़ेगा। यह 20 लाख से नीचे वाला जो exemption है, इससे भी उनको आगे चलकर फायदा नहीं होगा। दूसरा, यह भी सच है कि जीएसटी का जो रेट है, इसको जीएसटी काउंसिल तय करती है, जिसमें स्टेट भी 50 प्रतिशत भागीदार होती है। हमारे यहां पर डा. कराड़ हैं, वे बहुत ही कॉम्पिटेंट एमओएस, फाइनेंस

हैं। मैं आपके माध्यम से उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वे इस विषय को सरकार के ध्यान में लाएं कि हैंडलूम में ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापतिः धन्यवाद माननीय सुजीत जी।

The following Members associated themselves with the matter raised by Shri Sujeet Kumar: Shri Vijay Pal Singh Tomar (Uttar Pradesh), Shri Ram Chander Jangra (Haryana), Shri Kanakamedala Ravindra Kumar (Andhra Pradesh), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shrimati Sulata Deo (Odisha) and Shri Niranjan Bishi (Odisha). (Ends)

श्री बिप्लब कुमार देब -- 'Demand to Release Funds for Development of Mata Tripura Sundari Temple at Tripura'.

Demand to release fund for development of Mata Tripura Sundari Temple of Tripura

श्री बिप्लब कुमार देब (त्रिपुरा): माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उदयपुर शहर, त्रिपुरा में माता त्रिपुरेश्वरी मंदिर के विकास हेतु विषय उठाना चाहता हूँ। महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय को त्रिपुरा से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय से अवगत कराना चाहता हूँ। त्रिपुरा राज्य माता त्रिपुरेश्वरी की भूमि है। माता के 51 शक्ति पीठों में से एक इस राज्य के उदयपुर में त्रिपुर सुंदरी मंदिर के रूप में स्थापित है। यहाँ प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु माँ का दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। पूरे भारत से मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करने के लिए 'प्रसाद योजना' के अंतर्गत माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर का विकास किया जा रहा है। यह माताबारी मंदिर विकास परियोजना उत्तर-पूर्व भारत में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से सबसे प्रमुख केन्द्र के रूप में उभरेगी और त्रिपुरा का विकास सुनिश्चित करेगी व साथ ही साथ, भारत की आध्यात्मिक योजनाओं को भी मजबूती प्रदान करेगी। पूर्व में मंदिर के विकास के लिए केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 37.8 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। जब परियोजना का कार्य शुरू हुआ, तो वहाँ यह पाया गया कि श्रद्धालुओं के लाभ और स्थान के बेहतर उपयोग के लिए अतिरिक्त कार्य करने के लिए धन की आवश्यकता है। इस अतिरिक्त विकास कार्य के लिए 17.61 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय आवश्यक हो गया है।

महोदय, केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय से मेरा अनुरोध है कि वह उक्त धनराशि को शीघ्र जारी करे और राज्य पर्यटन विभाग के साथ समन्वय में सभी आवश्यक उपाय करे, ताकि मंदिर की विकास परियोजना को समय पर पूरा किया जा सके। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Biplab Kumar Deb: Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Lt. Gen. (Dr.) D. P. Vats (Retd.) (Haryana), Shri Neeraj